न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 48/2023 बउनवानी भवंर लाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा पुत्र श्री किशन लाल नावरिया जाति खटीक निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा

GCMS No-2023/96

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.8..2023	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.1.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. जिला कलेक्टर कार्यालय के पत्रांक प.12()दुब्बी निर/राजस्व/12/3901 दिनांक 1.6.2012 जो तहसील चौथ का बरवाडा को जारी किया गया है जिसके आधार पर ग्राम ईसरदा की सिवायचक भूमि को चरागाह दर्ज किया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर स0मा0 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.13(2)(15)सूकाअ/2023/2497 दिनांक 2.8.2023 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के जवाब नोटिस क्रमांक/भू0अ0/2023/812 दिनांक 17.8.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना प्राप्त करने के लिए तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 452 दिनांक 14.2.2023 से अपीलान्ट को लिखा जाने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.3.2023 को कार्यालय मे उपस्थित होकर व्यक्तिशः सूचना प्राप्त की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.1.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी पूर्ण सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः तहसीलदार चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक प.12()दुब्बी निर./राजस्व/12/3901 दिनांक 1.6.2012 की प्रमाणित सूचना 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश आज न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:35 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner